बुजुर्ग महिला को मृत बताकर ससुराल वालों ने बेच दी करोड़ों की जमीन

- बिजलपुर क्षेत्र का मामला : 13 जालसाजों पर एफआईआर दर्ज
- अंगूठा लगवाकर पहले घर से निकाला, फिर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया

इन 13 आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा...

टीआई यशवंत बडोले ने बताया कि शिकायत और जांच पर 13 लोगों को आरोपी बनाया है. इनमें कैलाश चौधरी, शंकर, जगदीश चौधरी, प्रकाश, विष्णु, शांतिलाल, राजन, सदन, पवित्रा, पार्वती, लखन, मनोज चौधरी (सभी बिजलपुर) और एक मददगार रामू नागदावाला निवासी प्रभुनगर शामिल हैं. बुजुर्ग महिला की शिकायत पर उक्त आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया. फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से और कैसे बना, इसकी भी गहन जांच की जा रही है.

नव भारत न्यूज

इंदौर. जमीन की भूख और पैसों के लालच में रिश्तों के कत्ल का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. बिजलपुर इलाके में करोड़ों रुपए मूल्य की 5 हेक्टेयर (लगभग 12 एकड़) से अधिक की पुश्तैनी जमीन हड़पने के लिए ससुराल वालों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोपियों ने 75 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को कागजों पर मृत घोषित कर उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया और उसके हिस्से की करोड़ों की जमीन बेच खाई. इतना ही नहीं, विरोध करने पर बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट कर उसे घर से भी बेदखल कर दिया. पुलिस ने इस हाईप्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में 13 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस के अनुसार, 75 वर्षीय पीड़िता द्रौपदीबाई पति रणछोड़ चौधरी निवासी बिजलपुर की शिकायत में बताया कि द्रौपदीबाई के पति रणछोड़ के नाम पर बिजलपुर में 5 हेक्टेयर से अधिक की बेशकीमती जमीन दर्ज थी. पति की मौत के बाद नियमानुसार इस जमीन पर द्रौपदीबाई का नाम चढ़ गया था. जमीन की कीमत करोड़ों में होने के कारण मृत रणछोड़ के भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों की नीयत डोल गई. उन्होंने साजिश रचकर बुजुर्ग महिला से धोखे से कुछ कोरे कागजों पर अंगूठे लगवाए और फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए. आरोपियों ने पहले द्रौपदीबाई के नाम पर दर्ज मकान को औने-पौने दामों में बेच दिया और फिर बुजुर्ग महिला के साथ गाली गलौज व मारपीट कर उसे घर से खदेड़ दिया.

कम पढ़ी-लिखी बेटी बनी मां की ढाल, खुली साजिश की परतें...

घर से निकाले जाने के बाद द्रौपदीबाई अपनी बेटी सुनीता के पास पहुंचीं. सुनीता भले ही कम पढ़ी लिखी है, लेकिन उसने हौसला नहीं हारा. जब सुनीता ने जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. राजस्व रिकॉर्ड से उसकी मां द्रौपदीबाई का नाम हटाया जा चुका था और जमीन का नामांतरण (म्यूटेशन) कराकर उसे किसी और को बेच दिया गया था. हैरत की बात यह थी कि द्रौपदीबाई को जिंदा रहते हुए भी सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया और आरोपियों ने सांठगांठ कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करवा लिया था. सुनीता ने अपनी बुजुर्ग मां को इंसाफ दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया और महीनों तक पुलिस अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटे. आखिरकार सीनियर अफसरों के दखल और लंबी जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया.

करोड़ों की कथित एमडी ड्रग्स जांच में निकला यूरिया

- 2 आईपीएस सहित 19 पुलिसकर्मियों पर साजिश रचने का आरोप
- बर्खास्त पुलिसकर्मी की याचिका पर 11 जुलाई को विशेष कोर्ट में होगी सुनवाई

लखन गुप्ता

नव भारत न्यूज

इंदौर. जिस 198 ग्राम सफेद पाउडर जैसे पदार्थ को करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स बताकर पुलिस ने जमकर वाहवाही लूटी थी, वह लेब की जांच में यूरिया निकला. इस पर अदालत ने मामले में गिरफ्तार किए गए पुलिसकर्मी समेत तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है. अब इस मामले में अपनी नौकरी खोने वाले पुलिसकर्मी लखन गुप्ता ने दो आईपीएस अधिकारियों सहित 19 पुलिसकर्मियों पर साजिश रचकर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए विशेष न्यायालय में परिवाद दायर किया है. जहां 11 जुलाई को सुनवाई होगी. पूर्व में इस मामले के लिए 27 जून की तारीख तय थी.

न्यायालय से बाइज्जत बरी होने के बाद पीड़ित पूर्व पुलिसकर्मी लखन गुप्ता ने अपने वकील नितिन पाराशर के माध्यम से विशेष अदालत की शरण ली है. परिवाद में आरोप लगाया है कि पुलिस महकमे के ही कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुरानी रंजिश या मिलीभगत के चलते एक बेहद सोची समझी साजिश रची. मुखबिरों पर दबाव बनवाकर पकड़े गए आरोपियों से जबरन लखन का नाम उगलवाया. इसके बाद लखन को आजाद नगर क्षेत्र से अवैध रूप से उठाकर तेजाजी नगर थाने लाया और प्रताड़ित कर जेल भेज कर सिपाही को विभाग ने सेवा से भी बर्खास्त कर दिया था.

यह पूरा मामला करीब 16 महीने पहले का है, जब इंदौर पुलिस ने विजय पाटीदार और शाहनवाज शेख नामक युवकों को दबोचकर उनके पास से 198 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद करने का ढिंढोरा पीटा था. पुलिस थ्योरी की असलियत तब सामने आई जब कोर्ट के निर्देश पर जब्त सामग्री के नमूने जांच के लिए भोपाल की फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे. वहां की रिपोर्ट में साफ हुआ कि जब्त पदार्थ ड्रग्स नहीं, बल्कि साधारण यूरिया था. खुद को घिरता देख पुलिस ने दोबारा तस्दीक के लिए सैंपल हैदराबाद की केंद्रीय प्रयोगशाला भेजा, लेकिन वहां से भी यही सच सामने आया. इन दोनों वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर कोर्ट ने लखन गुप्ता सहित तीनों आरोपियों को पहले ही दोषमुक्त कर दिया था. मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता नितिन पाराशर ने बताया कि मेरे मुवक्किल को एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में फंसाकर उनका करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल की गई है. हमने दो आईपीएस अफसरों समेत 19 दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए विशेष न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अब इसकी अगली सुनवाई 11 जुलाई को नियत की है, जिसमें हमें न्याय की पूरी उम्मीद है.

नशे और अवैध हथियार मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 18 गिरफ्तार

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में नशे के कारोबार और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चरस, गांजा, थिनर, भांग मनुखा, चाकू सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई.

डीसीपी क्राईम राजेश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जूनी इंदौर, अन्नपूर्णा, पंढरीनाथ और चंदन नगर पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया. मुखबिर की सूचना और संदिग्धों की निगरानी के दौरान पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 18 आरोपियों को पकड़ा. कार्रवाई में कई आरोपियों के पास से गांजा, चरस, थिनर, भांग मनुखा, चिलम, बटनदार व तड़तड़ी

चाकू बरामद हुए, जबकि एक जिला बदर आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित थानों में एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है. पूछताछ में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मादक पदार्थ और हथियार उन्हें कहां से उपलब्ध हुए तथा इनके नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.

लव मैरिज का खूनी प्रतिशोध : ऑनर किलिंग के छह दोषियों को उम्रकैद

- 2018 में हुए हत्याकांड में विशेष कोर्ट का बड़ा फैसला

इंदौर. विशेष एससी/एसटी अदालत के न्यायाधीश देवेंद्र प्रसाद मिश्र ने प्रेम विवाह के विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या करने के आठ साल पुराने मामले में सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया है.

कोर्ट ने अरुण भालसे, शिवराम भालसे, राहुल पंवार, सोनू दांगे, राजेश मोए और विशाल खेड़ेकर सभी निवासी भावनानगर, इंदौर को हत्या के तहत आजीवन कारावास और हत्या का प्रयास के तहत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार, 26 जुलाई 2018 को भावना नगर निवासी तेजकरण ने रिंकी भालसे से प्रेम विवाह किया था. इस शादी से नाराज रिंकी के भाई अरुण भालसे और उसके साथियों ने अड़ीबाजी करते हुए तेजकरण पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इस दौरान बीच बचाव करने आए तेजकरण के दोस्त मोनूराव पर भी जानलेवा हमला किया था. भंवरकुआं पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया था.

गवाह पलटे, पर साक्ष्यों ने दिलाई सजा

मुकदमे के दौरान मृतक की पत्नी रिंकी और घायल चश्मदीद मोनूराव कोर्ट में अपने बयानों से मुकर (होस्टाइल) गए. इसके बावजूद, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आरती भदौरिया ने हार नहीं मानी. उन्होंने मौके पर मौजूद अन्य प्रत्यक्षदर्शियों, मेडिकल रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर इतनी प्रभावी पैरवी की कि अदालत ने अन्य चश्मदीदों की गवाही को स्वाभाविक मानते हुए सभी छह आरोपियों को कठोर सजा से दंडित किया.

एक नजर में

भाजपा नगर की कामकाजी बैठक सम्पन्न

इंदौर. जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्मरण के अंतर्गत बूथ समितियों के सदस्यों और प्राथमिक सदस्यों के प्रशिक्षण डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के सन्दर्भ में आज भाजपा कार्यालय पर भाजपा इंदौर नगर की कामकाजी बैठक नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, शिक्षक प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक महेश पालीवाल, महामंत्री व कार्यक्रम संयोजक सुधीर कोल्हे, महेश कुकरेजा, हरप्रीत सिंह बक्षी की उपस्थिति में सम्पन्न हुई. भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 वीं जयंती संस्मरण कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत बूथ और शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह प्रशिक्षण पूरी तरह से डिजिटल होगा कार्यकर्ता अपने मोबाइल से सरल और संगठन अप्प पर जाकर डिजिटल प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होंगे. यह प्रशिक्षण 28 जून को सुबह 11:40 बजे सभी 2097 बूथों पर एक साथ आयोजित किए जाएंगे. श्री मिश्रा ने बताया कि डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम से पूर्व सभी 2097 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण कार्यकर्ता सुनेंगे. बैठक में राकेश शर्मा, वासुदेव पाटीदार, भूपेंद्र सिंह केसरी,भारत पारख, महेश जोशी, दीपेन्द्र सिंह सोलंकी, दीप्ति हाडा, नेहा शर्मा, नारायण पालीवाल, सचिन बंसल, विशाल यादव, वरुण पाल, हेमराज वाडिया, रानू गर्ग, गोविंद पंवार, रितेश शर्मा, नितिन शर्मा, दीपांश खण्डेलवाल, राजा कोठारी सहित मंडल अध्यक्ष एवं अभियान टोली सदस्य उपस्थित थे।

महिला को चाकू दिखाकर धमकाया

इंदौर. बाणगंगा थाना क्षेत्र में देर रात बच्चे को वापस मांगने पर एक युवक द्वारा महिला के साथ अभद्रता करने और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है. घटना देर रात करीब एक बजे शांति दीप गैस एजेंसी के पीछे बाणगंगा इलाके की है. यहाँ रहने वाली 36 वर्षीय ममता यादव के घर के आंगन में गोविंद कॉलोनी निवासी हिमांशू आया और उनके बच्चे को खिलाने लगा. काफी देर होने पर जब ममता ने उसे रात होने का हवाला देकर बच्चा लौटाने को कहा, तो आरोपी भड़क गया. उसने गाली गलौज करते हुए ममता को धक्का देकर गिरा दिया और कहा कि बच्चा कोर्ट से लेना. इसके बाद आरोपी ने चाकू निकालकर ममता को मारने का प्रयास किया. इसी बीच पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनकर आरोपी घबरा गया और बच्चा छोड़कर भागने लगा. जाते जाते उसने ममता और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी दी. बाणगंगा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शिव शक्ति सेवा मंडल अमरनाथ यात्रा ग्रुप का जत्था 30 जून को होगा रवाना

महू. शिव शक्ति सेवा मंडल अमरनाथ यात्रा ग्रुप महू के तत्वावधान में इस वर्ष भी अमरनाथ यात्रियों का जत्था आगामी मंगलवार 30 जून को मालवा एक्सप्रेस से रवाना होगा. मंडल के संयोजक व वरिष्ठ समाजसेवी जगमोहन सोन के नेतृत्व में जा रहे इस जत्थे में महू सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों, पीथमपुर और मानपुर के बड़ी संख्या में भक्त शामिल हैं. ज्ञात हो, जगमोहन सोन सन 2000 से लगातार इस पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं. उनके इसी दीर्घकालिक अनुभव का लाभ हर वर्ष नए तीर्थयात्रियों को मिलता है, जिससे श्रद्धालु बेहद कम खर्च में अधिक से अधिक धार्मिक स्थलों के सुगमता से दर्शन कर पाते हैं. यही कारण है कि क्षेत्र के भक्तगण इस ग्रुप के साथ यात्रा करना विशेष रूप से पसंद करते हैं.

बहन के घर आए भाई की सोते समय साइलेंट अटैक से मौत

इंदौर. जूना रिसाला क्षेत्र में बहन के घर आए एक युवक की साइलेंट हार्ट अटैक से असामयिक मौत का बेहद दुखद मामला सामने आया है. महाराष्ट्र से अपनी बहन से मिलने आया यह युवक रात में बिल्कुल स्वस्थ हालत में सोया था, लेकिन सुबह वह बिस्तर से उठ ही नहीं सका. अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है.

महाराष्ट्र निवासी 35 वर्षीय राहुल पिता अगरचंद जूना रिसाला में रहने वाली अपनी बहन प्रियंका के घर आया था. परिजनों ने पुलिस को बताया कि राहुल पूरी तरह स्वस्थ था और उसे किसी भी तरह की कोई शारीरिक परेशानी या बीमारी नहीं थी. दिनभर बहन और परिवार के साथ समय बिताने के बाद वह रात को रोजाना की तरह सोने चला गया. परिजनों ने बताया कि सुबह देर तक जब राहुल के कमरे में कोई हलचल नहीं हुई, तो उसे जगाने का प्रयास किया. काफी आवाज देने और हिलाने डुलाने के बाद भी जब उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई, तो तत्काल डॉक्टर को बुलाया. जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आशंका जताई जा रही है कि नींद में ही उसे साइलेंट हार्ट अटैक आया, जिसके कारण उसकी जान चली गई. मामले में पुलिस जांच कर रही है.

कोर्ट ने हैवान पति को सुनाया 7 साल का सश्रम कारावास

- दहेज और बांझपन का ताना देकर पत्नी को करता था प्रताड़ित

नव भारत न्यूज

इंदौर. दहेज की अंतहीन भूख और संतान न होने का ताना देकर पत्नी को मौत के मुंह में धकेलने वाले एक हैवान पति को कानून ने उसके किए की सजा दे दी है. इंदौर की विशेष न्यायाधीश अनीता सिंह की अदालत ने आरोपी पति लखन गहलोत को दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम (कठोर) कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

रतलाम की रहने वाली ममता का विवाह 24 अप्रैल 2012 को विदुर नगर (द्वारकापुरी) निवासी लखन पिता रमेश गहलोत के साथ हुआ था. शादी के कुछ समय बाद से ही लखन का असली रंग सामने आने लगा. वह अक्सर शराब के नशे में धुत होकर ममता के साथ बेरहमी से मारपीट करता था और मायके से और दहेज लाने का दबाव बनाता था. समय बीतने के साथ प्रताड़ना का दौर और क्रूर होता गया. शादी के कई साल बाद भी संतान न होने पर आरोपी ने ममता को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. वह रोज उसे बांझपन के ताने देता और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करता था.

प्रताड़ना से त्रस्त होकर महिला ने लगा ली थी फांसी

पति द्वारा रोज-रोज दिए जा रहे इन जख्मों और तानाकशी से ममता भीतर तक टूट चुकी थी. आखिरकार, 23 मार्च 2020 को उसने प्रताड़ना से तंग आकर विदुर नगर स्थित अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जब मामले की बारीकी से जांच की, तो मृतका की डायरी और मायके वालों के बयानों में पति की हैवानियत के पुख्ता सबूत मिले. इसके बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (दुष्प्रेरण) का मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया. द्वारकापुरी पुलिस ने मामले की सघन जांच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट में ट्रायल के दौरान शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक जयंत दुबे ने मजबूती से पैरवी की. उन्होंने अदालत के सामने मृतका के साथ हुई क्रूरता के वैज्ञानिक और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए. अभियोजन द्वारा पेश किए गए अकाट्य सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने माना कि आरोपी की प्रताड़ना के कारण ही महिला आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर हुई और यह फैसला सुनाया.

आक्रोशित परिजनों ने महिला डॉक्टर का दबाया गला

- उज्जैन से रैफर होकर आई गर्भवती महिला की अस्पताल में मौत

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर के प्रतिष्ठित अरबिंदो अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा. उग्र परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर पर हमला करते हुए उनका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया. इस दौरान डॉक्टर पर बर्बरता से लात-घूंसे चलाए. ऐन वक्त पर वहां मौजूद नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ ने बीच बचाव कर डॉक्टर को उपद्रवियों के चंगुल से छुड़ाया, जिससे उनकी जान बच सकी. अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

डॉक्टरों को निशाना बनाना कतई स्वीकार्य नहीं

मामले में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. नाईक का कहना है कि अरबिंदो अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा निजी चिकित्सकीय संस्थान है, जहां इंदौर सहित पूरे मालवा-निमाड़ अंचल से अत्यंत क्रिटिकल मरीज अंतिम उम्मीद के साथ रैफर होकर आते हैं. इनमें से कई मरीजों के बचने की संभावना बेहद क्षीण होती है. इसके बावजूद डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देती है. अधिकांश मामलों में सफलता मिलती है, लेकिन कुछ मामलों में विफलता मिलने पर डॉक्टरों को ही निशाना बनाना और उन पर जानलेवा हमला करना कतई स्वीकार्य नहीं है. वहीं थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर का कहना है कि मामले में अभी जांच की जा रही है. जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

उज्जैन के एक निजी अस्पताल में कल शाम रुखसाना पति शाहरुख मुल्तानी का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था. वहां तबीयत बिगड़ने पर उसे रात करीब 11.30 बजे इंदौर रैफर कर दिया गया. परिजन रात 12.30 बजे रुखसाना को लेकर अरबिंदो अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों ने तत्काल उसे अटेंड कर बचाने के प्रयास शुरू किए, लेकिन अत्यधिक गंभीर स्थिति होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. महिला की मौत की खबर सुनते ही परिजन आपा खो बैठे और उन्होंने सीधे उपचार कर रही महिला डॉक्टर पर ही हमला बोल दिया.

हाईकोर्ट में सोमवार से नए रोस्टर के साथ बैठेंगी बेंच

नव भारत न्यूज

इंदौर. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में परसों से मुकदमों की सुनवाई की पूरी तस्वीर बदलने जा रही है. एक्टिंग चीफ जस्टिस के आदेश पर इंदौर बेंच के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया गया है. इस नए शेड्यूल के तहत सबसे बड़ा बदलाव डिवीजन बेंच में देखने को मिलेगा. हाल ही में इंदौर बेंच के प्रशासनिक न्यायाधीश नियुक्त किए गए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर अब जस्टिस आलोक अवस्थी के साथ सुनवाई करेंगे. यह द्विसदस्यीय पीठ गंभीर और जनहित से जुड़े मामलों की लाइव सुनवाई करेगी.

सिंगल बेंचों में मुकदमों के तुरंत निपटारे के लिए पांच न्यायमूर्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसमें जस्टिस विनय सराफ, जस्टिस संदीप एन. भट्ट, जस्टिस गजेंद्र सिंह, जस्टिस जय कुमार पिल्लई और जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी अपनी-अपनी एकल पीठ में केस सुनेंगे. गौरतलब है कि हाल ही में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद से इंदौर खंडपीठ में जजों की संख्या में एक की कमी आई है. वकीलों और वादियों को उम्मीद है कि केसों के भारी बोझ को देखते हुए मुख्य पीठ जल्द ही यहाँ एक और जज की नियुक्ति तय कर सकती है.

एक नजर में

विकास की रफ्तार में शहर की पुरानी बस्तियां मलबे में तब्दील हो रहीं, लेकिन प्रभावितों के पुनर्वास और रोजगार की चिंता सरकारी फाइलों में दबी पड़ी

सड़क चौड़ीकरण : मकान-दुकान तोड़े, पर पुनर्वास और रोजगार भूले

इंदौर. विकास की रफ्तार में शहर की पुरानी बस्तियां मलबे में तब्दील होती जा रही हैं. सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सैकड़ों मकान-दुकान और भवन तोड़ दिए गए, लेकिन जिन परिवारों ने वर्षों की मेहनत से आशियाना बनाया था, उनके पुनर्वास और रोजगार की चिंता आज भी सरकारी फाइलों में दबी नजर आ रही है.

शहर के करीब डेढ़ सौ वर्ष पुराने जिंसी हाट मैदान क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई. विकास परियोजना के तहत सैकड़ों मकान दुकान और भवन तोड़कर जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन प्रभावित परिवारों का कहना है कि उनके जीवन की गाड़ी आज तक पटरी पर नहीं लौट सकी. तीसरी पीढ़ी से इस क्षेत्र में रहने वाले परिवार बताते हैं कि कभी एक ही छत के नीचे रहने वाला संयुक्त परिवार आज अलग-अलग जगह किराए या छोटे मकानों में रहने को मजबूर हैं. वर्षों से फुटकर व्यापार कर परिवार का पालन-पोषण करने वाले छोटे दुकानदारों का रोजगार भी उजड़ गया. तस्वीरों में दिखाई देता मलबा केवल ईंट-पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि उन परिवारों के टूटे सपनों की कहानी भी बयां करता हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन विकास का श्रेय लेने में आगे हैं, लेकिन प्रभावितों के पुनर्वास उचित मुआवजे और रोजगार की व्यवस्था पर अब भी ठोस पहल नहीं की गई. विकास जरूरी है, लेकिन यदि उसके साथ इंसाफ न हो तो उसकी कीमत आम नागरिकों को अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी पड़ती है.

यह बोले प्रभावित लोग...

विकास करना अच्छा है, लेकिन लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. गरीब आदमी उसमें पिस रहा है. अब वह दोबारा कैसे खड़ा होगा. सरकार को पुनर्वास के साथ मुआवजा देना चाहिए.

- मोहम्मद शकील

हमारे परिवार को यहां रहते सवा सौ वर्ष हो चुके हैं. शहर में पब्लिक बढ़ रही है, विकास के लिए जमीन ले रहे हैं तो उसका मुआवजा भी देना चाहिए.

- नियाज मोहम्मद

विगत पचास वर्षों से मैं यहां छोटा-मोटा व्यापार कर रहा था. मेरे जैसे कई लोगों की रोजी-रोटी छिन गई, अब आगे देखते हैं क्या होगा ईश्वर ही जाने.

- जय राम